पर पेश हुए। वादीगण व प्रतिवादी उपस्थित है।
पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादी रणजीतसिंह का एक नाम जगन्नाथसिंह भी है तथा गोकुलसिंह का एक नाम छोटूसिंह भी है। अतः इनका नाम राजस्व रेकार्ड ख०नं० 131, 132, 133, 145, 134 ग्राम मच्छीपुरा में रणजीतसिंह उर्फ जगन्नाथसिंह तथा गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिंह कर दिया जावे।

जगदीशसिंह
रणजीतसिंह
२।भाई
आम्रमवा
अं० नि० छोटीबाई

प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। पक्षकारों को सुना गया। प्रतिवादी का कहना है कि वादी को रणजीतसिंह व जगन्नाथ सिंह दोनों नामों से जाना जाता है एवं वादी व प्रतिवादी के पिताजी को भी गोकुलसिंह व छोटूसिंह के नाम से जाना जाता है। अतः रेकार्ड में जगन्नाथसिंह के स्थान पर रणजीतसिंह उर्फ जगन्नाथसिंह व वादी, प्रतिवादी के पिता का नाम गोकुल सिंह उर्फ छोटूसिंह दर्ज कर दिया जावे। इसमें प्रतिवादी की भी सहमति है।

अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद निर्णित किया जाकर भूमि ख०नं० 131, 132, 133, 145, 134 ग्राम मच्छीपुरा में दर्ज नाम जगन्नाथसिंह के स्थान पर रणजीतसिंह उर्फ जगन्नाथसिंह व गोकुलसिंह के स्थान पर गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन नम्बरो में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। इसी अनुसार रेकार्ड में दुरुस्ती करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट **सदस्य** **लोक अदालत** गंगापुर सिटी	(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी	(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

7

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अमरगढ

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रणजीतसिंह उर्फ जगन्नाथ सिंह पुत्र गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तह0 गंगापुर
2. [illegible] बाई बेवा गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिह राजपूत मृतक
2/1 [illegible] बाई पुत्री गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिंह पत्नी नरेन्दसिह राजपूत निवासी बुद्धपुरा तह0 सपोटरा
2/2 [illegible] बाई पुत्री गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिंह पत्नी अमरसिंह राजपूत निवासी खेडला तह0 बामनवास
2/3 [illegible] बाई पुत्री गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिंह पत्नी शेरसिह राजपूत निवासी डूंडीपुरा तह0 सपोटरा

––वादीगण

बनाम

1. [illegible] जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. जगदीशसिंह पुत्र गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी
3. [illegible] सिंह पि.नु. गजराजसिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. – 52/2009

वादी की ओर से वादी रणजीत वगैरा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी जगदीश की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 28.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न0 131, 132, 133, 145, 134 ग्राम मच्छीपुरा में दर्ज नाम जगन्नाथसिंह के स्थान पर रणजीतसिंह उर्फ जगन्नाथसिंह व गोकुलसिंह के स्थान पर गोकुलसिंह उर्फ छोटूसिह दर्ज करने का आदेश किया जाता है। इन नम्बरो मे अन्य प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

आज तारीख 28.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उपखण्ड कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. ______ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	